पत्रांक – 7 / नीति–(क्रिमी लेयर)07 / 2002 का. 732 /

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

फिदेलिस टोप्पो,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव,
सभी सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग,
अध्यक्ष, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग,
सचिव, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद।

राँची, दिनांक 25 जनवरी, 2012

विषय :– अन्य पिछड़े वर्गो को भारत सरकार के सिविल (असैनिक) पदों एवं सेवाओं में आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र संख्या 7906 दिनांक 10.12.2011 के क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के संकल्प संख्या 232 दिनांक 18.08.2010 तथा संकल्प संख्या 257 दिनांक 08.12.2011 की छायाप्रति नियमानुसार कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विश्वासभाजन,

25.1.2012

(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2011/अग्रहायण 17, 1933
No. 257] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2011/AGRAHAYANA 17, 1933

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2011

फा. सं. 12015/13/2010-बी.सी. II.—जबकि मण्डल आयोग की रिपोर्ट में दोनों सूचियों में शामिल जातियों और समुदायों को समाहित करके अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची और 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को *अनुबंध-I* में यथा निर्दिष्ट कल्याण मंत्रालय के संकल्पों के तहत अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (इसके बाद एनसीबीसी के रूप में संदर्भित) का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 (1993 का 27) की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था और इसे नागरिकों के किसी वर्ग को सूचियों में पिछड़ा वर्ग के रूप में शामिल करने संबंधी अनुरोध की जांच करने और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन एवं अल्प समावेशन की शिकायतों को सुनने तथा केन्द्रीय सरकार को सलाह देने, जैसा उपयुक्त हो, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं;

और जबकि, उक्त केन्द्रीय सूची को एनसीबीसी की सिफारिशों पर संशोधित किया गया था और *अनुबंध-II* में यथानिर्दिष्ट संकल्पों के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, एनसीबीसी ने सोलह राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्रों नामतः अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के संबंध में उक्त केन्द्रीय सूचियों में समावेशन या संशोधन के लिए जातियों एवं समुदायों (उप जातियों एवं अन्य नामों) की आगे सिफारिश की है;

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
65. शून्य	65. *अधरिया*
66. शून्य	66. *मोवांर*
67. शून्य	67. *नट (अनुसूचित जाति सूची में शामिल से भिन्न)*

गोवा

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
17. शून्य	17. *क्रिश्चियन रेंडर्स (वे व्यक्ति जो वास्तव में ताड़ी के कारोबार में संलग्न हैं)*
18. शून्य	18. *कोमरपंत*
19. शून्य	19. *थाकर*

हिमाचल प्रदेश

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
51. शून्य	51. *सैनी*

झारखंड

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
8. बढ़ई	8. बढ़ई, *विश्वकर्मा*
13. भाट (मुस्लिम)	13. *भाट, भटट*, भाट (मुस्लिम)
35. गंधर्व	35. गंधर्व, *गंदर्भ*
45. केवर्त	45. केवर्त, *काइंवरत्ता*
48. कमार (लोहार, कर्मकार)	48. कमार (लोहार, कर्मकार), *विस्वाकर्मा*
63. कुर्मी (महतो)	63. *कुर्मी*, कुर्मी (महतो)
72. मल्लाह (सुरहिया)	72. मल्लाह (सुरहिया), *केवट मुरावरी*
73. मान्नार	73. मान्नार *(मागर)*
76. मौरियारी	76. मौरियारी, *मौरियारो, मौरियारा*
79. मोमिन (मुस्लिम)	79. मोमिन (मुस्लिम), *जुलाहा, अंसारी*
81. नागर	81. नागर *(इसमें मैथली ब्राह्मण और अन्य राज्यों के अप्रवासी नागर जो ब्राह्मण और बनियां हैं, शामिल नहीं है)*
87. नोनिया	87. नोनिया, *नुनिया*
89. पाल (भेड़िहार-गड़ेरी)	89. पाल (भेड़िहार-गड़ेरी), *गडेरिया*
107. सोनार	107. सोनार, *सुनार*
110. तमोली	110. तमोली, *तम्बोली*
111. तांती (ततवा)	111. तांती (ततवा), *ताति, तातीन*
118. यादव (ग्वाला, अहिर, गोप)	118. यादव (ग्वाला, अहिर, गोप), *मेहर, सदगोप*
120. शून्य	*120. चिक (मुस्लिम)*
विद्यमान प्रविष्टि	*नई प्रविष्टि*

121. शून्य	121. *बैरागी*
122. शून्य	122. *सुदी, हलवाई, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, पटवा, सिंदुरिया-बनिया, माहुरी-वैश्य, अवध-बनिया/अदरखी, अग्रहरी-वैश्य*
123. शून्य	123. *धनकर*
124. शून्य	124. *कलाल, इराकी*
125. शून्य	125. *कलवार*
126. शून्य	126. *परया*
127. शून्य	127. *कौरा*

कर्नाटक

विद्यमान प्रविष्टि	*संशोधित प्रविष्टि*
53. मेदारा, लिंगायत मेधार, बट्टेर बर्नड,गौरी, गौरीमराठा	53. मेदारा, लिंगायत मेधार, बट्टेर, बर्नड, *गोवरिगा,* गौरी, गौरीमराठा

केरल

विद्यमान प्रविष्टि	*नई प्रविष्टि*
81. शून्य	81. *कोंगु वेल्लाला गोंडर, वेल्लाला, गोंडर, नट्टू गौंडर, पाला गोंडर, पूसारी गोंडर और पाला वेल्लाला गोंडर सहित*

महाराष्ट्र

विद्यमान प्रविष्टि	*संशोधित प्रविष्टि*
14. भडभुंजा	14. भडभुंजा, *भुरजवा, भुरजावा, भुर्जी, भारदवडुंगा, भुरंजी, भुंज*
26. देवदिग	26. देवदिग, *देवडिगा*
28. धांगर, धनगरी	28. धांगर, धनगरी, *दांगे, दोगरी*
39. गवांडी	39. गवांडी, *गुजर कादिया*
66. कोश्ती, हलबा कोश्टी, लाडकोश्टी, गढेवाल कोश्टी, जैनकोश्टी	66. कोश्ती, हलबा कोश्टी, लाडकोश्टी, गढेवाल कोश्टी, जैनकोश्टी, *सालेवार पदमशाली, चानेवार/चान्नेवार/ चेन्नेवार*
133. शिम्पी, भावगर, शिंद शिम्पी, नामदेव, जैन-शिम्पी, श्रावक-शिम्पी, शेटवल, शेटवाल	133. शिम्पी, भावगर, शिंद शिम्पी, नामदेव, जैन-शिम्पी, श्रावक शिम्पी, शेटवल, शेटवाल, *रंगसुतार*
159. माली (उप जाति: फूलमाली, फुले, हलादे, कचा, काडु, बवाने, एडप्रभु, एद सेटी, जिरे, उण्डे, लिंगयात माली, बंका माली, मार्ते माली, कोसारे माली, भरार, मराल, सवता माली, वन माली, बागबन/रायीन)	159. माली (उप जाति: फूलमाली, फुले, हलादे, कचा, काडु, बवाने, एडप्रभु, एद सेटी, जिरे, उण्डे, लिंगयात माली, बंका माली, मार्ते माली, कोसारे माली, मरार, मराल, सवता माली, वन माली, बागबन/रायीन), *सूतारस, मालीस, वादवल्स, चाउकलशिश,*
169. तम्बोली	169. तम्बोली, *शाकद मितकारी-वाणि, वाणि, बोरल, बोराल,*

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2010/श्रावण 27, 1932
No. 232] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2010/SHRAVANA 27, 1932

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2010

फा. सं. 12015/2/2007-बी.सी.सी.—भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.), दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां आरक्षित की हैं।

2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) के उपबंधों के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में शामिल करने के अनुरोधों तथा अधिक शामिल करने और कम शामिल करने की शिकायतों को प्राप्त करने, जांचने और उनकी सिफारिश करने के लिए की गई थी।

3. इस संबंध में 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं. 12011/68/93-बी.सी.सी. (सी), दिनांक 10 सितम्बर, 1993; सं. 12011/9/94-बी.सी.सी., दिनांक 19 अक्तूबर, 1994; सं. 12011/7/95-बी.सी.सी., दिनांक 24 मई, 1995; सं. 12011/99/94-बी.सी.सी., दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 के तहत अधिसूचित किया गया था। उपर्युक्त सूचियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया था और समय-समय पर संकल्प सं. 12011/96/94-बी.सी.सी., दिनांक 9 मार्च 1996; सं. 12011/44/96-बी.सी.सी., दिनांक 6 दिसम्बर, 1996; सं. 12011/13/97-बी.सी.सी., दिनांक 3 दिसम्बर, 1997; सं. 12011/68/98-बी.सी.सी., दिनांक 27 अक्तूबर, 1999; सं. 12011/88/98-बी.सी.सी., दिनांक 6 दिसम्बर, 1999; सं. 12011/36/99-बी.सी.सी., दिनांक 4 अप्रैल, 2000; सं. 12011/44/99-बी.सी.सी., दिनांक 21 सितम्बर, 2000; सं. 12015/9/2000-बी.सी.सी., दिनांक 6 सितम्बर, 2001; सं. 12011/1/2001-बी.सी.सी., दिनांक 19 जून, 2003; सं. 12011/4/2002-बी.सी.सी., दिनांक 13 जनवरी, 2004; सं. 12011/9/2004-बी.सी.सी., दिनांक 16 जनवरी, 2006; सं. 12011/14/2004-बी.सी.सी., दिनांक 12 मार्च, 2007; तथा सं. 12018/6/2005-बी.सी.सी., दिनांक 30 जुलाई, 2010, के तहत अधिसूचित किया गया था।

4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 6 राज्यों (छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान) एवं 1 संघ राज्य क्षेत्र (दमन और दीव) से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने अथवा संशोधन करने के लिए जाति और समुदाय (उपजातियों एवं पर्यायों सहित) की सिफारिश की है।

5. सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, उपर्युक्त राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में, परिशिष्ट में दिए गए अंतर्वेशनों/संशोधनों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ये अंतर्वेशन अथवा संशोधन इस संकल्प के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव